(32)

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक एफ0नं0– 11–268 / 2014 एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. **भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0** द्वारा वन प्रभाग **लखनऊ** के अन्तर्गत बनी – मोहनलालगंज रोड **(एम0डी0आर0** – 89सी) के **कि0मी0 स्टोन सं0**– 4 के मध्य बांयी पटरी पर, **खसरा नं0** – 268, **ग्राम** – धावापुर, **परगना** – बिजनौर, **तहसील** – सरोजनीनगर, **जिला** – लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.044014 **हे0** संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रिप की दूरी 19.36 मी0 है तथा सम्पर्क मार्गों तथा सेपरेटर आईलेण्ड का क्षेत्रफल 0.044014 **हे0** है जो प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, **लखनऊ** के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवे के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुरूप हैं तथा यह मार्ग प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग **लखनऊ** के अधीन है।

2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट **भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0** द्वारा वन प्रभाग लखनऊ के अन्तर्गत बनी – मोहनलालगंज रोड **(एम0डी0आर0** – 89सी) के **कि0मी0 स्टोन सं0**– 4 के मध्य बांयी पटरी पर, **खसरा नं0** – 268, **ग्राम** – धावापुर, **परगना** – बिजनौर, **तहसील** – सरोजनीनगर, **जिला** – लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्षों का पातन नही किया गया है।

3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेन्ट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।

4. मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रकिया में है।

5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।

7. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के पश्चात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा (CAMPA) मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मोहनलालगंज

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
वन प्रभाग, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर रेन्ज
अवध वन प्रभाग लखनऊ

For And on behalf of
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
Attorney
17-9-19
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
टेरीटॅरी लखनऊ